

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज०)
राजस्व लोक अदालत-न्याय आपके द्वार 2018

वेतनहीन अधिकारी:-राजलक्ष्मी गहलोत, आर.ए.एस.
मुकदमा नम्बर:-51/2018 प्रार्थना पत्र

उनवान

- 1-गणपतलाल पिता भैरूलाल सुथार नि० रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 2-सांवरमल पिता भैरूलाल सुथार नि० रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 3-लीला पुत्री भैरूलाल सुथार नि० रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 4-जमना पुत्री भैरूलाल सुथार ना०बा०ब० जरिये माता देऊ बेवा भैरूलाल सुथार नि० रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 5-देऊ बेवा भैरूलाल सुथार नि० रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 6-कन्हैयालाल पिता बालुराम सुथार नि० रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 7-पारसमल पिता बालुराम सुथार नि० रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रार्थीगण

बनाम

- 1-श्यामलाल पिता किशना खाती नि० सुरजपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 2-सम्पतलाल पिता किशना खाती नि० सुरजपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 3-रामसहाय पिता किशना खाती नि० सुरजपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 4-झमकु बाई पत्नि बालुराम सुथार नि० रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 5-गीता पुत्री हेमा जाट नि० सुरजपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 6-कालु पिता हीरा जाट नि० सुरजपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 7-झमकु पुत्री शोभालाल जाट पत्नि देवीलाल जाट नि० रायपुर हाल नान्दशा जागीर तह० रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 8-गोपाल पिता नेनुराम जाट नि० रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 9-प्रेमदेवी बेवा नेनुराम जाट नि० रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 10-बद्रीलाल पिता नन्दराम जाट नि० सुरजपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 11-मीठालाल पिता नन्दराम जाट नि० सुरजपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 12-रतनलाल पिता नन्दराम जाट नि० सुरजपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 13-कैलाश बेवा नन्दराम जाट नि० सुरजपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 14-जगदीश पिता नन्दराम जाट नि० सुरजपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 15-शंकरलाल पिता नन्दराम जाट नि० सुरजपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 16-भोली बेवा शंकरलाल जाट नि० सुरजपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 17-पारस पिता गोकल धोबी नि० रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 18-लक्ष्मण पिता गोकल धोबी नि० रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 19-प्रहलाद पिता गोकल धोबी नि० रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 20-सोहन पिता हुक्मा धोबी नि० रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 21-उदयराम पिता नेनु धोबी नि० रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 22-भंवर पिता नेनु धोबी नि० रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 23-कोयली पत्नि स्व० नेनु धोबी नि० रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 24-रूपा पिता मोहन धोबी नि० रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 25-लुगदलाल पिता मोहन धोबी नि० रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 26-प्यारा पिता छोगा धोबी नि० रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 27-झमकु बेवा छोगा धोबी नि० रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 28-शांतिलाल पिता जमना लाल डागा (महाजन) नि० रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 29-बरदीचन्द पिता जमनालाल डागा (महाजन) नि० रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 30-कन्हैयालाल पिता जमनालाल डागा (महाजन) नि० रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 31-राजमल पिता जमनालाल डागा (महाजन) नि० रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 111,128 एल0आर0एक्ट

उपस्थित-
हरिश टेलर-

अधिवक्ता प्रार्थीगण

निर्णय

दिनांक 06.06.2018

पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार/केम्प कोर्ट रायपुर मे पेश हुई। प्रकरण का सक्षेप मे विवरण इस प्रकार है ग्राम सुरजपुरा पटवार हल्का रायपुर तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी मे प्रार्थीगण के संयुक्त खातेदारी अधिकार एवं कब्जे कास्त की आराजियात संख्या 3374 रकबा 0.21 हे०, 3375 रकबा 0.24 हे०, 3376 रकबा 0.24 हे०, 3377 रकबा 0.23 हे०, 3378 रकबा 0.26 हे०, 3379 रकबा 0.17 हे०, 3380 रकबा 0.55 हे०, 3694 रकबा 0.02 हे०, 3695 रकबा 0.38 हे० कुल किता 09 रकबा 2.30 हे० भूमि राजस्व खाता संख्या 36 पर स्थित है। प्रमाण में नकल जमाबन्दी संवत् 2071 से 2074 तक मय नक्शा ट्रेस साथ प्रस्तुत है। प्रार्थीगण की उक्त आराजियात के चारो तरफ सीमा के मुश्तकील निशानात नही होने से प्रार्थीया को कास्त करने, कास्त लाभ प्राप्त करने, घास आदि काटने, मवेशी बगैरा चराने में दरम्यान पक्षकारान आपस में बराबर सीमा सम्बन्धी विवाद बना रहता हैं। जिससे प्रार्थीगण को अपनी उक्त आराजियात की पत्थरगढी करवाना आवश्यक हो गया है। विपक्षीगण संख्या 01 से 31 प्रार्थीगण की उक्त आराजियात के पडौसी होने से उन्हें पक्षकार विपक्षीगण बनाये गये हैं। प्रार्थीगण ने विपक्षीगण को कई मर्तबा उक्त आराजियात की पत्थरगढी कराने बाबत् कहा लेकिन विपक्षीगण हर बार टालम बाजी का जबाव देते रहे है। प्रार्थीगण ने विपक्षीगण को अंतिम बार दिनांक 23.03.2018 को कहा लेकिन विपक्षीगण पत्थरगढी कराने से इन्कार हो गये, जिससे प्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र पेश करने हेतु विवश होना पडा है। बिनाय प्रार्थना पत्र 23.03.2018 से उत्पन्न होकर निरन्तर जारी है। और यह बाद पत्र अन्दर अवधि सादर प्रस्तुत है।


प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को इस न्यायालय मे दिनांक 23.05.2018 को पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षी को वजह जाहिर करने हेतु नोटिस जारी किये गये। नोटिस की पालना मे विपक्षी संख्या 01 से 27 बावजुद सूचना के उपस्थित नही होने से इनके खिलाफ एक तरफा कार्यवाही की जाती है। विपक्षी संख्या 28, 29, 30, 31 के विरुद्ध प्रार्थीगण के अधिवक्ता कोई दाद नही चाहता है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख मे किसी प्रकार की हेरा-फेरी होने का कोई अन्देशा नही है तथा न किसी प्रकार से अधिकार निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यो को देखते हुए नैसर्गिक न्यायिक सिद्धान्त के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार योग्य है। अतः



न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रायपुर जिला भीलवाड़ा -राजस्थान
राजस्व लोक अदालत-न्याय आपके द्वार 2018
मुकदमा नम्बर:- 51/2018 वाद पत्र
गणपतलाल बनाम श्यामलाल वगै०


आदेश

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि तहसीलदार रायपुर ग्राम सुरजपुरा पटवार हल्का रायपुर तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में प्रार्थीगण के संयुक्त खातेदारी अधिकार एवं कब्जे कास्त की आराजियात संख्या 3374 रकबा 0.21 हे०, 3375 रकबा 0.24 हे०, 3376 रकबा 0.24 हे०, 3377 रकबा 0.23 हे०, 3378 रकबा 0.26 हे०, 3379 रकबा 0.17 हे०, 3380 रकबा 0.55 हे०, 3694 रकबा 0.02 हे०, 3695 रकबा 0.38 हे० कुल किता 09 रकबा 2.30 हे० भूमि राजस्व खाता संख्या 36 पर स्थित है। उक्त आराजी की पत्थरगढी विपक्षीगण की कब्जे कास्त की भूमि में किसी भी प्रकार दखलंदाजी नहीं करते हुए बेशामलात पक्षकारान करा दें। यदि किसी का कब्जा पाया जाता है तो कब्जा हटाने के लिये प्रार्थीगण सक्षम न्यायालय में चाराजोही करे। प्रार्थीगण इस कार्य के लिये तहसील रायपुर में रुपये 200/- अक्षरे दो सौ रुपये पत्थरगढी शुल्क जमा करावे एवं प्रार्थीगण द्वारा पत्थरगढी की कमिश्नर फीस 1100/- अक्षरे एक हजार सौ रुपये संबंधित गिरदावर हल्का को मौके पर भुगतान करना होगा। खर्चा राशि जमा होने पर तहसीलदार रायपुर विधिवत् पत्थरगढी करावे। प्रकरण निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो। रजिस्टर में दाखला अंकित किया जावे।


राजलक्ष्मी गहलोत
आर.ए.एस.

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

निर्णय आज दिनांक 06.06.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


राजलक्ष्मी गहलोत
आर.ए.एस.

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा